

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- श्री राजेशकुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 87 / 2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2021 / 240

वादीनी

बनाम

प्रतिवादी

गीता कंवर पत्नी शंकरसिंह
जाति राजपूत
निवासी-नाथूसिंहपूरा
गुमानसिंहपूरा
तहसील शेरगढ जिला जोधपुर

1.हरीसिंह पुत्र जेटुसिंह
2.देवीसिंह पुत्र जेटुसिंह
3.हरुकंवर पत्नी जेटुसिंह
जाति राजपूत निवासी खनौडा
तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काष्ठकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-


- 1.श्री जूंजाराम पटेल ,अधिवक्ता वादीनी
- 2.प्रतिवादी एकतरफा।

:अंतिम निर्णय:

दिनांक- 11.3.2024

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं,कि सरहद मौजा खनौडा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 417/78 रकबा 54-00 बीघा भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 14.6.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को वादीनी की भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीनी वकील की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। प्रतिवादी बावजूद सम्मन तामीली के उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई थी।

लिहाजा वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा खनौडा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 417/78 रकबा 54-00 बीघा भूमि के संबंध में बंटवाड़ा पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

क्र.सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हेक्ट.)	किस्म भूमि	लगान	बरंग
1	श्रीमति गीताकंवर पत्नी शंकरसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	खनौडा	417/78	1.9425	बा.सो.	1.08	नक्शे में दर्शितनुसार
2	श्रीमति हरूकंवर पत्नी जेटुसिंह देवीसिंह पुत्र जेटुसिंह, हरिसिंह पुत्र जेटुसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार	खनौडा	502/78 417/78	0.0081 6.7906	गै.मु.रास्ता बा.सो.	- 3.81	नक्शे में दर्शितनुसार

तहसीलदार, पंचपदरा को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।



(राजेश कुमार)

सहायक कलक्टर

(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 11.3.2024 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।



सहायक कलक्टर

(एस.डी.ओ.) बालोतरा

(S.D.O.) Balotra

मूलवाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- श्री राजेशकुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 87/2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2021/240

वादिनी	बनाम	प्रतिवादी
गीता कंवर पत्नी शंकरसिंह	1.हरीसिंह पुत्र जेदुसिंह	
जाति राजपूत	2.देवीसिंह पुत्र जेदुसिंह	
निवासी-नाथूसिंहपूरा गुमानसिंहपूरा	3.हरुकंवर पत्नी जेदुसिंह	
तहसील शेरगढ जिला जोधपुर	जाति राजपूत निवासी खनौडा	
	तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर	
	4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार	
	पचपदरा	

राजस्व वाद बाबत:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 87/2021

निर्णय दिनांक :-11.03.2024

वादिनी की ओर से श्री जुंजाराम पटेल अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 11.03.2024 को श्री राजेशकुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादिनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 11.03.2024 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 11.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेश कुमार)

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादिनी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	---	5.आदेशिका की तामील	-----
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामील			
जोड़	---	जोड़	-----

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा